

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर  
क्रमांक:प.8(ग)( )नियम / डीएलबी/ 22/ ९८५४ जयपुर,दिनांक: ९/५/२२

### अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73-वी की उप धारा (1) के तहत नगरपालिका द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उप धारा (4) के अन्तर्गत दायर अपीलों को सुनने एवं निर्णित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलों में पारित निर्णय का अनुमोदन शासन सचिव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कराया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(हैटेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम / डीएलबी/ 22/ ९८५९-१०२२९ जयपुर,दिनांक: ९/५/२२  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वा.शा.विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी राचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
7. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
9. निदेशक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव